review take due care of efficiency, merit and morale while promoting officers to senior ranks in the Government.

Officials on deputation in International Agencies

2081. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many Govt. officials are on deputation to U.N.O., I.L.O., F.A.O. and other international organisations and what are their qualifications; and

(b) what remuneration is being given to each of them, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) The information is at Annexure. (See Appendix CLXIV, Annexure No. 29)

(b) This information is not centrally maintained.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारी

2082. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने आई.ए.एस. और आई. पी.एस. अधिकारियों को निलम्बित किया गया है ;

(ख) कितने अधिकारियों को दोष मुक्त करके सेवा में बहाल किया गया है ; और

(ग) इस समय ऐसे कितने मामले लम्बित हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मार्गेट अल्वा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय सेवाओं की मौजूदा योजना के तहत चूंकि सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उन संबंधित सरकारों का होता है, जिनके मामलों के संबंध में, सेवा का सदस्य उस समय कार्य कर रहा हो, इसलिए केन्द्रीय सरकार साथ ही राज्य सरकारें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारों के निलम्बन के विषय में विचार करने के लिए सक्षम होंगी । मामला संबंधित सरकारों की शक्ति तथा सक्षमता के भीतर है तथा ऐसी सूचना भारत सरकार द्वारा सेवा के निलम्बित सदस्य की जाति के विस्तृत ब्यौरों सहित रखी तथा मानीटर नहीं की जाती है।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में प्राप्त अभ्यावेदन

2083. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री अजीत जोगी :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रधान मंत्री को संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने मामलों में 15 दिनों के भीतर पावतियां भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अब तक नहीं भेजे गए हैं ;

(ग) पावती 15 दिनों के भीतर और अन्तिम उत्तर 3 महीनों के भीतर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पावती को विलम्ब से भेजने, अन्तिम उत्तर न भेजने और संसद सदस्यों को गुमराह करने के लिए कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उन्हें क्या सजा दी गई है ?